संख्या 31011/7/97-स्था.(क)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
* * *

नई दिल्ली-110001,
दिनांक : 20 अक्तूबर, 1997

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- पांचवा केंद्रीय वेतन आयोग - छुट्टी यात्रा रियायत से संबंधित सिफारिशों को स्वीकार किया जाना।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग ने अपने प्रतिवेदन में अन्य बातों के साथ-साथ सिफारिश की है कि :-

(i) संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों को छुट्टी यात्रा रियायत के समय अपने विकल्प में विमान या ए.सी. प्रथम श्रेणी से यात्रा, और अन्य सभी कर्मचारियों को दौरे के लिए उनकी पात्रता की श्रेणी के अनुसार रेल यात्रा की अनुमति दी जाए। (पैरा 108.6)

(ii) ऐसे सरकारी कर्मचारी जो अपने गृह नगर से बाहर तैनात हैं, को भारत के किसी स्थान पर छुट्टी यात्रा रियायत के अपने दावे जो अन्यथा ग्राहय होगा, को छोड़कर चार वर्षों के ब्लॉक में तीन अवसरों पर गृह नगर की यात्रा की रियायत का लाभ उठाने का विकल्प दिया जा सकता है। (पैरा 108.8)

(iii) सरकार को उत्तर-पूर्व क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह इत्यादि जैसे दूरस्थ क्षेत्रों की समीक्षा करनी चाहिए और इन क्षेत्रों में छुट्टी यात्रा रियायत के दौरान विमान से यात्रा के लिए रियायत का विस्तार करना चाहिए। (पैरा 108.10)

(iv) छुट्टी यात्रा रियायत के लिए परिभाषित आश्रित परिवार के सदस्यों के लिए आय सीमा को 500 रूपए प्रति माह से बढ़ाकर 1,500 रूपए प्रति माह किया जाए। (पैरा 108.11)

(v) रेलवे कर्मचारियों के लिए मुफ्त रेलवे पास की मौजूदा योजना में कोई बदलाव नहीं है। (रेलवे कर्मचारी केंद्र सरकार के अन्य सिविलियन कर्मचारियों के लिए उपलब्ध अवकाश यात्रा रियायत के लिए पात्र नहीं हैं क्योंकि उन्हें भारत में कहीं भी यात्रा के लिए मुफ्त पास प्राप्त होते हैं।) (पैरा 108.13)

(vi) छुट्टी यात्रा रियायत की सुविधा एक कर्मचारी के लिए उसके दो बच्चों तक सीमित की जा सकती है। (पैरा 109.13)

2. सरकार ने पांचवे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर विचार किया गया है और यह निर्णय लिया गया कि:-

(क) केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी यात्रा रियायत) नियमावली, 1988 सपठित अनुपूरक नियमावली के अनुपूरक नियम 2 (8) और सांविधिक नियम 2 के नीचे विहित भारत सरकार के निर्णय (3) में आश्रितता के निर्धारण के लिए विहित सभी स्रोतो से मौजूदा धन राशि सीमा को 500 रूपए प्रति माह से बढ़ाकर 1,500 रूपए प्रति माह किया जाएगा।

(ख) वर्तमन में, बच्चों की संख्या को ख्याल में रखे बिना छुट्टी यात्रा रियायत की सुविधा एक कर्मचारी के बच्चों के लिए उपलब्ध है। छोटे परिवार के मानक को प्रोत्साहित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि छुट्टी यात्रा रियायत की सुविधा केवल दो जीवित बच्चों तक प्रतिबंधित होगी। दो जीवित बच्चों का प्रतिबंध सरकारी कर्मचारी के मौजूदा बच्चों और इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख से एक वर्ष